



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 118 राँची, बुधवार,

5 मार्च, 2025 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

6 फरवरी, 2025

सं०सं०-ओफाज/योजना/05/2024-25-278/कृ०,--कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित National Mission on Natural Farming (NMNF) योजना हेतु निर्गत Operational Guidelines की कंडिका सं०-6.1 एवं कंडिका सं०-6.3 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर क्रमशः State Level Executive Committee (SLEC) एवं District Level Monitoring Committee का गठन किया जाना है। तदनुसार State Level Executive Committee (SLEC) एवं District Level Monitoring Committee का गठन निम्नवत किया जाता है :-

State Level Executive Committee (SLEC)

1	मुख्य सचिव, झारखण्ड	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड	सदस्य
3	आई०सी०ए०आर० के प्रतिनिधि	सदस्य
4	SAUs के प्रतिनिधि	सदस्य
5	राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
6	पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
7	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, झारखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
8	कृषि विपणन पर्षद, झारखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
9	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
10	प्राकृतिक खेती करने वाले अग्रणी किसान	सदस्य
11	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज, झारखण्ड	सदस्य सचिव

District Level Monitoring Committee

1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	संयुक्त निदेशक (कृषि)/जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
3	परियोजना निदेशक (आत्मा)	सदस्य
4	कृषि विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक/प्रमुख	सदस्य
5	प्राकृतिक खेती करने वाले अग्रणी किसान	सदस्य
6	बागवानी मिशन के प्रतिनिधि	सदस्य
7	पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8	जलछाजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
9	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधि	सदस्य
10	सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
11	कृषि उत्पाद बाजार समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
12	प्राकृतिक खेती करने वाले लोकल संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
13	कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि	सदस्य

2. प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।
